



AHC:125671:2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18723 वर्ष 2026

वीपी सिंह

आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता

:

पंकज शर्मा

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- हमने आवेदक के वकील श्री पंकज शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सिंह और राज्य के अधिवक्ता श्री भूपेंद्र पाल सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत आवेदन केस क्राइम नंबर 350/2026, धारा 108, 61(2) के तहत भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 पुलिस स्टेशन हाईवे, जिला मथुरा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि एफ.आई.आर. और प्रथम सूचनादाता के बयान में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था और इसी कारण मृतक, जो आवेदक की पत्नी थी, आवेदक से झगड़ा करती थी और आवेदक ने उपरोक्त विवाद के कारण मृतक को अपनी लाइसेंसी राइफल से मार डाला।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि मृतक के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई आवाज और सीसीटीवी फुटेज को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि मृतक ने आवेदक की पीठ पीछे आत्महत्या की,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्योंकि वह आवेदक से नाराज थी। आवेदक किसी काम में व्यस्त होने के कारण उसका फोन नहीं उठा रहा था। जब आवेदक बच्चों को स्कूल से लेकर लौटा, तो उसने मृतक का शव पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, इसलिए आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि जांच लंबित है और आवेदक जांच में सहयोग कर रहा है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 19.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025** एससीसी आनलाइन एससी 3038 मामले में शीर्षस्थ न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024** एससीसी आनलाइन आल 6765 मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक वी.पी. सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को जेल अधीक्षक, मथुरा के माध्यम से ई-मेल या ई-कारागार पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 31.01.2023 को स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में दिया गया था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पिला पहन उर्फ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 29.05.2026 को दिया गया था।

5 जून, 2026

एसए

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।